



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042026-271643
CG-DL-E-08042026-271643

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1705]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948

No. 1705]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2026

का.आ. 1773(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1669 (अ), दिनांक 26 मई 2020 द्वारा तेलंगाना राज्य में एनएच-563 के जगतियाल-करीमनगर-वारंगल-खम्मम खंड के संपूर्ण भाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 563 के डिजाइन किलोमीटर 58.866 से किलोमीटर 126.881 (एसएच1 पर विद्यमान किलोमीटर 170.400 से एनएच163 पर किलोमीटर 144.050 तक) एनएच563 के करीमनगर-वारंगल खंड के चार लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 33.381 कि.मी. (सारणी 2) की निवल सड़क खंड लंबाई तथा 18.62 किमी (1.862 किमी की लंबाई [सारणी-4]) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और 10 करोड़ रु या उससे अधिक की लागत वाले 32.772 कि.मी. (सारणी 3) लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाज़ाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क खंड लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात्:

सारणी 2		
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले में कोथागट्टू गांव के पास एनएच-563 के कि.मी. 90.552 पर।	33.381	चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:

सारणी 3						
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	डिजाइन चेनेज़ सहित बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले में कोथागट्टू गांव के पास एनएच-563 के कि.मी. 90.552	एनएच 563 का मनकोंडूर बाईपास	डिजाइन किमी 58.866 एसएच1 पर विद्यमान किमी 170.400)	डिजाइन किमी 68.306 (विद्यमान किमी 70.160)	8.561	305.74	चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	एनएच 563 का हुज़ूरबाद बाईपास	डिजाइन किमी 90.906 (विद्यमान किमी 91.755)	डिजाइन किमी 105.956 (विद्यमान किमी 105.425)	14.843	311.16	
	एनएच 563 का हसनपार्टी	डिजाइन 117.306	डिजाइन किमी	9.368	260.79	

पर।	बाईपास	किमी (विद्यमान किमी 117.950)	126.881 (एनएच163 पर विद्यमान किमी 144.050)		
कुल				32.772	877.69

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित अवसंरचना की लंबाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले में कोथागट्टू गांव के पास एनएच-563 के कि.मी. 90.552 पर।	1.862 किमी*	18.62 किमी	चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* संरचनाओं का ब्योरा (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) इस प्रकार है:

क्रम सं.	संरचना का प्रकार	चेनेज		लंबाई (कि.मी. में)
		से	तक	
1	59.641 पर बड़ा पुल	59.515	59.767	0.2527
2	63.346 पर बड़ा पुल	63.064	63.628	0.5632
3	63.882 पर बड़ा पुल	63.846	63.909	0.0633
4	69.796 पर बड़ा पुल	69.736	69.857	0.1218
5	75.920 पर बड़ा पुल	75.871	75.973	0.1024
6	99.750 पर बड़ा पुल	99.717	99.793	0.0752
7	101.106 पर बड़ा पुल	101.074	101.138	0.06424
8	103.524 पर बड़ा पुल	103.489	103.556	0.06757
9	108.219 पर बड़ा पुल	108.156	108.282	0.12664
10	113.012 पर बड़ा पुल	112.958	113.066	0.1078
11	114.110 पर बड़ा पुल	114.055	114.165	0.1104
12	118.451 पर आरओबी	118.387	118.515	0.12848
13	125.024 पर बड़ा पुल	124.985	125.063	0.07804
	कुल लंबाई			1.862

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.000/-रूपए (तीन सौ चालीस रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यक्षीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2533.76 करोड़ रुपए है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कामों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. टीजीडीआईवी-20019/52/2025-पीआईयू वारंगल ई-261900]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2026

S.O. 1773(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1669 (E) dated 26th May, 2020 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the entire stretch of Jagtial-Karimnagar-Warangal-Khammam section of National Highway No.563 in the State of Telangana to National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “Rules”), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 33.381 km [Table 2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 18.62 km (having length of 1.862 km [Table 4]) and at one and half times of the base rates for bypasses having length of 32.772 km [Table 3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below for use four or more lane of Karimnagar-Warangal section of NH563 from design kilometre 58.866 to kilometre 126.881 (existing km.170.400 on SH1 to km.144.050 on NH163) of National Highway number 563 in the State of Telangana and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van of Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for **net road length specified for such Fee Plaza namely:-**

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km. 90.552 of NH 563 near Kothagattu village in Karimnagar district of Telangana State.	33.381	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass(es) length specified for such Fee Plaza :-

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass with Design chainage	Taking Off	Merging at	Length and cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (Rs. in Cr.)	
At Km. 90.552 of NH	Manakondur Bypass of NH	Design Km.58.866 (existing)	Design Km.68.306	8.561	305.74	150% for four or more lane, of

563 near Kothagattu village in Karimnagar district of Telangana State.	563	Km.170.400 on SH1)	(existing Km.70.160)			base rate mentioned in Table-1 above
	Huzurabad Bypass of NH 563	Design Km.90.906 (existing Km.91.755)	Design Km.105.956 (existing Km.105.425)	14.843	311.16	
	Hasanparti Bypass of NH 563	Design Km.117.306 (existing Km.117.950)	Design Km.126.881 (existing Km.144.050 on NH163)	9.368	260.79	
Total				32.772	877.69	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in Km)	Rate at which fee is payable
At Km. 90.552 of NH 563 near Kothagattu village in Karimnagar district of Telangana State.	1.862 km [^]	18.62 km	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above.

[^]The details of structures (>60m length) are as under: -

S.No	Type of Structure	Chainage		Length in (Km)
		From	To	
1	Major Bridge at 59.641	59.515	59.767	0.2527
2	Major Bridge at 63.346	63.064	63.628	0.5632
3	Major Bridge at 63.882	63.846	63.909	0.0633
4	Major Bridge at 69.796	69.736	69.857	0.1218
5	Major Bridge at 75.920	75.871	75.973	0.1024
6	Major Bridge at 99.750	99.717	99.793	0.0752
7	Major Bridge at 101.106	101.074	101.138	0.06424
8	Major Bridge at 103.524	103.489	103.556	0.06757
9	Major Bridge at 108.219	108.156	108.282	0.12664
10	Major Bridge at 113.012	112.958	113.066	0.1078
11	Major Bridge at 114.110	114.055	114.165	0.1104
12	ROB at 118.451	118.387	118.515	0.12848
13	Major Bridge at 125.024	124.985	125.063	0.07804
Total Length				1.862

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs.340.00 (Rupees Three Hundred and Forty Only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicles.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 2533.76 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc., are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. TGDIV-20019/52/2025-Piu Warangal E-261900]

CHETNA NAND SINGH, Jt. secy.